भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3304

23 मार्च, 2022 को उत्तर के लिए

सीएसआर के अंतर्गत कार्य

3304. श्री डी.के. सुरेश:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस्पात के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू) कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत विभिन्न कार्य कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस्पात पीएसयू द्वारा सीएसआर के तहत किए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है;

(घ) संबंधित पीएसयू के व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि सीएसआर निधि को मानदंडों के अनुसार खर्च किया जाना चाहिए और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह)**

(क) से (ङ): सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 135, अधिनियम की अनुसूची VII और कंपनी (सीएसआर नीति) नियम, 2014 के माध्यम से निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए व्यापक रूपरेखा प्रदान करती है। अधिनियम के तहत, सीएसआर बोर्ड द्वारा संचालित प्रक्रिया है और कंपनी के बोर्ड को उसकी सीएसआर समिति के अनुरोधों के आधार पर सीएसआर गतिविधियों की योजना बनाने, निर्णय लेने, निष्पादित करने और निगरानी करने का अधिकार प्राप्त होता है। सीएसआर रूपरेखा प्रकटन आधारित है और सीएसआर अधिदेशित कंपनियों से एमसीए 21 रजिस्ट्री में प्रतिवर्ष सीएसआर गतिविधियों का ब्यौरा दाखिल करना अपेक्षित है। सीएसआर प्रावधानों के किसी उल्लंघन के लिए, सरकार द्वारा ऐसी गैर-अनुपालनकर्ता कंपनियों के विरुद्ध रिकॉर्ड की यथोचित जाँच और विधि की नियत प्रक्रिया के पालन के पश्चात् कार्रवाई शुरू की जा सकती है।

लोक उद्यम विभाग ने दिनांक 10.12.2018 को सभी प्रशासनिक मंत्रालयों और केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) को सीपीएसई द्वारा सीएसआर व्यय संबंधी दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि सभी सीएसआर गतिविधियों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और अनुसूची VII के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है।

इस्पात सीपीएसई द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान सीएसआर के तहत किए गए कुल व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

****

अनुलग्नक-I

दिनांक 23.03.2022 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3304 के भाग (क) से (ङ) का उत्तर

सीएसआर के तहत इस्पात सीपीएसई द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए कुल वर्ष-वार व्यय को दर्शाने वाला विवरण

सीपीएसई का नाम	सीएसआर व्यय (लाख रुपये में)			कुल
	2018-19	2019-20	2020-21	
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	3118	2756	4718	10592
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	1030	796	1011	2837
एनएमडीसी लिमिटेड	16724	19999	15862	52585
मॉयल लिमिटेड	929	1274	1318	3521
मेकॉन लिमिटेड	17	330	45	392
केआईओसीएल लिमिटेड	33	331	885	1249
एमएसटीसी लिमिटेड	200	54	* शून्य	254

*वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान हुए नुकसान के कारण, वर्ष 2019-20 और वर्ष 2020-21 के लिए निवल औसत लाभ नकारात्मक था, जिसके परिणामस्वरूप शून्य सीएसआर बजट आवंटन हुआ।